न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:– 42/2022 तारीख रजू:–14.10.2022

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. रामराज पुत्र रामसहाय जाट, निवासी महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. राजाराम पुत्र रामसहाय जाट, निवासी महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. रामजीलाल पुत्र रामसहाय जाट, निवासी महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. संतोष पुत्री रामसहाय जाट, निवासी महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. सोनी पत्नि स्व. रामसहाय जाट, निवासी महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र रामरखा जाट निवासी महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. राजाराम पुत्र रामरखा जाट निवासी महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. केदार पुत्र रामरखा जाट निवासी महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. रामकेश पुत्र रामरखा जाट निवासी महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा शिवाड, जिला सवाई माधोपुर।
6. प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा शिवाड़, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित::–

वकील प्रार्थीगण:–श्री हंसराज यादव, एडवोकेट

वकील अप्रार्थीगण– श्री हरिराम प्रजापत, एडवोकेट।

निर्णय दिनांक:– 09.10.2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (ए) आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.10.22 14:15:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि–

1. यह है कि आवेदकों की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1425 रकबा 0.6200 है0 किस्म बारानी 1 सम्पूर्ण वाके ग्राम महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर पर जाने हेतु ग्राम महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा स्थित खसरा नंबर 1347 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

1.88 है0 गै0मु0 सड़क से अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 एवं 4 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1424 रकबा 0.10 है0 बंजड़ में से 15 फिट चौड़ रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 06.05.2024 को अपना जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 एक ही गांव महापुरा, तहसील, चौथ का बरवाड़ा के निवासी हैं, एवं दोनों के ही खेत पास–पास स्थित है। प्रार्थीगण का खेत खसरा नंबर 1425 रकबा 0.62 है0 किस्म बारानी के अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 1424 रकबा 0.10 है0 के पूर्व दिशा में है एवं प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने हेतु खसरा नंबर 1347 रकबा 1.88 है0 गै0मु0 सड़क से अप्रार्थीगण के खेत से ही आवागमन होता आ रहा है। यदि प्रार्थीगण को स्वयं के खेत खसरा नंबर 1425 पर आने जाने हेतु रिकॉर्डेड रास्ता चाहते हैं तो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 (ए) के तहत ग्राम महापुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा की कृषि भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर से 2 गुणा राशि अप्रार्थीगण को अदा कर दे तो अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज कराने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1424 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम महापुरा पटवार हल्का महापुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में से 15 फीट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 1347 रकबा 1.88 है0 गै0मु0 सड़क से प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 1425 रकबा 0.62 है0 पर प्रचलित डी.एल.सी. दर से 2 गुनी राशि अदा करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. बकुलाय बहस सुनी गयी। विद्वान वकीलों प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

5. हमने वकील उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व मनन किया। अप्रार्थीगणों की सहमति/अनापत्ति के आधार पर प्रार्थीगणों को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1425 पर आवागतन हेतु अप्रार्थीगणों के खसरा नंबर 1424 में में खसरा नंबर 1347 से प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 1425 तक 15 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.10.22 14:15:00 IST
Reason: SelfAttested

–:आदेश:–

प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1425 रकबा 0.62 है0 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

4 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1424 में से 15 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर नियमानुसार इसकी तरमीम करते हुए उपलब्ध कराया जाये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा उनकी खातेदारी भूमि में से उपलब्ध कराये गये रास्ते के एवज में उन्हे प्रार्थीगण से डीएलसी की दुगुनी दर से प्रतिकर दिलवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 09.10.2024 को सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.10.22 14:15:00 IST
Reason: SelfAttested